महाराजा कॉलेज, आरा

चुनाव सम्बन्धी सूचना

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय के पत्रांक 220/Estab/18 दिनांक 23.01.2018 के आलोक में महाराजा कॉलेज में छात्र संघ चुनाव हेतु नामांकन पत्र व शपथ पत्र कॉलेज की Website : www.maharajacollege.ac.in तथा चुनाव कार्यालय में उपलब्ध है। छात्र नामांकन पत्र लेकर आवश्यक संलग्नक के साथ निम्न विवरणानुसार दिनांक 11.02.18 को 10 बजे से 04 बजे तक नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं।

क्र.स.	कक्ष संख्या	पद जिस हेतु नामांकन करना है
1.	कक्ष संख्या 02	अध्यक्ष
2.	कक्ष संख्या 05	उपाध्यक्ष
3.	कक्ष संख्या 16	सचिव
4.	कक्ष संख्या 10	संयुक्त सचिव
5.	कक्ष संख्या 20	कोषाध्यक्ष
6.	कक्ष संख्या 06	छात्र प्रतिनिधि

प्रधानाचार्य
Principal
Maharaja College
Ara

महाराजा कॉलेज, आरा

सूचना

छात्र संघ चुनाव 2017-18 में प्रत्याशी होने के लिए आवश्यक है–

1. ऐसे छात्र/छात्राएँ जो लगातार बिना प्रमोटेड पूर्व की परीक्षाएँ (यदि कोई हो) पास किए हो तथा नामांकन से अब तक 05 वर्ष से ज्यादा का समय न हुआ हो।
2. 11.02.2018 को उनकी आयु –
   (क) स्नातक में 17 से 22 वर्ष हो।
   (ख) स्नातकोत्तर में 25 वर्ष से ज्यादा न हो।
3. नामांकन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र जमा करें–
   1. मैट्रिक प्रमाण पत्र की स्वभिप्रमाणित छाया प्रति।
   2. फोटो सहित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
   3. छात्र/छात्राएँ जिस कोर्स (स्नातक/स्नातकोत्तर) में पढ़ रहे हो उसके पूर्व के सभी खण्डो के अंक पत्रों की स्वभिप्रमाणित छाया प्रति।

प्रधानाचार्य

Principal
Maharaja College
Ara

कार्यालय 222515

प्रधानाचार्य

कार्यालय

Website : www.maharajacollegeara.com
Website : www.maharajacollege.ac.in
Email id : maharajacollegeara@gmail.com

महाराजा कॉलेज

आरा 802301

(A Constituent unit of V.K.S.U,Ara)

पत्रांक .... दिनांक ....

छात्र संघ चुनाव 2018

अभ्यार्थियों/मतदाताओं के लिये आवश्यक निर्देश

1. मतदान के निर्धारित समय से 24 घंटा पूर्व से मतदान समाप्ति तक पोलिंग बुथ के 100 मीटर की परिधि में कोई भी प्रचार करना, बोट माँगना, सभा करना अपराध माना जायेगा।
2. कोई भी अभ्यर्थी चुनाव प्रचार हेतु हस्तलिखित, हस्तनिर्मित पर्ची/पुस्तिका या उनके छाया प्रति का ही व्यवहार कर सकते/सकती है। संबंधित चुनाव पदाधिकारी के पूर्व अनुमति से कैम्पस में इसे व्यवहार कर सकते/सकती है।
3. किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग/विश्वविद्यालय के दिवाल पर कुछ लिखने, उसके स्वरुप को बिगाड़ने या हानि पहुँचाने की स्थिति में सभी अभ्यर्थी संयुक्तरुप से जिम्मेवार माने जायेगें।
4. लाउड़ स्पीकर, सवारी या पशु का प्रयोग प्रचार के लिये वर्जित है।
5. मतदान के दिन अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधि या उनके समर्थक मतदान में लगे पदाधिकारियों की शांन्तिपूर्ण एवं निर्भिकता से मतदान सम्पन्न कराने में सहायता प्रदान करेगा।
6. मतदान के दिन शुद्ध पेय जल के अतिरिक्त किसी प्रकार का खाद्य या पेय पदार्थ, या उनके प्रतिनिधि के द्वारा नहीं बाँटा जायेगा।
7. मतदान के दिन कोई भी प्रचार सामग्री नहीं बाँटी जायेगी। साथ ही मतदान के दिन किसी सवारी का मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश वर्जित रहेगा।
8. चुनाव प्रक्रिया समाप्ति के बाद मतदान/मतगणना स्थल की सफाई सभी अभ्यर्थियों द्वारा सुनिश्चित करना होगा।
9. बिना वैध पहचान पत्र के किसी व्यक्ति का प्रवेश मतदान के दिन मतदान स्थल पर वर्जित रहेगा।
10. मतदाता अपने महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र दिखाकर ही मतदान केन्द्र में प्रवेश पा सकेंगे एवं मतदान कर सकेंगे।
11. एक इकाई (College/Faculty) के अधीन एक पद हेतु बने Proposer या Seconder किसी एक ही अभ्यार्थी का प्रस्तावक एवं समर्थक बन सकते है। यदि कोई मतदाता एक ही पद हेतु एक से अधिक अभ्यर्थी का प्रस्तावक/समर्थन बनते है तो ऐसी स्थिति में उन सभी अभ्यर्थियों का नोमिनेशन रद्द माना जायेगा।

Sanjay M.C, Ara - 373